पत्रांक- **GG/5/2026-SEC_2-UDHD DEPT** /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0007-भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण (आर०ई०ए०टी०), विपत्र कोड सं०-48-2217800010007 के अन्तर्गत सहायक अनुदान-वेतन मद तथा सहायक अनुदान गैर वेतन मद में कुल रू० 17565570.00 (एक करोड़ पचहत्तर लाख पैंसठ हजार पांच सौ सत्तर रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः- **स्वीकृत।**

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0007-भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण (आर०ई०ए०टी०), विपत्र कोड सं०-48-2217-80-001-0007 के अन्तर्गत सहायक अनुदान-वेतन मद तथा सहायक अनुदान गैर वेतन मद में कुल रू० 17565570.00 (एक करोड़ पचहत्तर लाख पैंसठ हजार पांच सौ सत्तर रूपये) मात्र निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः-

क्र० सं०	बजट शीर्ष 2217 का विषय शीर्ष	कुल स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	0007-31-04 सहायक अनुदान-वेतन	9282570.00
2	0007-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन	8283000.00
	योग-	**17565570.00**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि रू० 17565570.00 (एक करोड़ पचहत्तर लाख पैंसठ हजार पांच सौ सत्तर रूपये) मात्र ।

2. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के PL खाता सं०-PBBPLA024 के HOA No-00-8448-00-120-0070-00-01 में CFMS के माध्यम से ***Inter Departmental*** विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

3. उपर्युक्त तालिका में स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

4. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०-48-2217800010007 मांग सं०-48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाए अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकास एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति e संचिका संख्या- **GG/5/2026-SEC_2-UDHD DEPT** के Note No-03 पर दिनांक-15.07.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note No-07 पर दिनांक-16.07.2026 को प्राप्त है।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/निबन्धक भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण (आर०ई०ए०टी०) तथा संबंधित कोषागार को भी दी जा रही है।

11. इस स्वीकृत्यादेश की प्रति योजना एवं विकास विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- **GG/5/2026-SEC_2-UDHD DEPT** 105 /न०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक- 17/07/26

प्रतिलिपिः-योजना एवं विकास विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 06, नगर विकास एंव आवास विभाग/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।